बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण प्रभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या FC-

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक–

विषय – भोजपुर जिलान्तर्गत NH-30 आरा पूर्वी गुमटी (LC No. 48A33T) पर प्रस्तावित (118.089-119.572 KM) कुल लंबाई 1.483 कि०मी० का ROB निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.823 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भोजपुर जिलान्तर्गत NH-30 आरा पूर्वी गुमटी (LC No. 48A33T) पर प्रस्तावित (118.089-119.572 KM) कुल लंबाई 1.483 कि०मी० का ROB निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.823 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, गुलजारबाग का प्रस्ताव वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 189 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित ROB निर्माण में 1.823 हे० वन भूमि एवं 12 वृक्षों के पातन का आकलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा किया गया है। ROB निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का मूल टोपो शीट नक्शा एवं Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, आरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA, 2006) प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 1.823 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने अवकृष्ट 3.64 हे० वन भूमि अर्थात् 4.00 हे० को चिन्हित (खरी सुरक्षित वन) करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

फोन नं०–08986153139 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 1.823 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भैल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 11,41,198/– (रूपये ग्यारह लाख एकतालीस हजार एक सौ अनठानवें) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 1.823 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये गया वन प्रमंडल के अतरी प्रक्षेत्र अन्तर्गत 4.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि खरी सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 32,72,366/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC-1185 दिनांक– 27/11/2017

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, गुलजारबाग, पटना/वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/11/17

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन नं०–08986153139 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com